(110)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1700–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–5–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 383/14–15/अपील.

पन्नालाल पुत्र कप्तान सिंह
निवासी मदनपुरा
सुसेरा कोठी ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– पारो बेवा अर्जुन सिंह
निवासी मदनपुरा
सुसेरा कोठी ग्वालियर
2– जानकी बाई पत्नी बादशाह पुत्री अर्जुन सिंह
निवासी ग्राम लहचूरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड .....अनावेदकगण

श्री सी0एम0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मदनापुरा तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 144 मिन रकबा 0.648 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 145 रकबा 0.523 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 147 रकबा 0.512 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 148 मिन रकबा 0.084 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 156 मिन रकबा 0.052 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.819 हेक्टेयर के 1/2 भाग के अर्जुन सिंह भूमिस्वामी थे । इसी प्रकार सर्वे कमांक 149 मिन

रकबा 0.763 हेक्टेयर व सर्वे कमांक 150 रकबा 0.052 हेक्टेयर में 1/3 भाग के अर्जुन सिंह भूमिस्वामी थे । उनकी मृत्यु उपरांत नामान्तरण पंजी कमांक 4 दिनांक 2–8–13 पर मृतक भूमिस्वामी के वारिसान अनावेदकगण का नामान्तरण आदेश दिनांक 7–9–13 से स्वीकृत किया गया । उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष इस आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि मृतक भूमिस्वामी अर्जुन सिंह द्वारा उसे बचपन में ही परम्परागत रीति–रिवाज से पुत्रवत रख लिया गया था, और तब से वह उन्हीं के साथ निवासरत रहा है एवं स्व. अर्जुन सिंह द्वारा उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । अतः नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण स्वीकार किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–5–15 को आदेश पारित कर नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 7–9–13 निरस्त किया जाकर वसीयतनामा के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–5–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 7–9–13 पुर्नस्थापित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) मृतक भूमिस्वामी अर्जुन सिंह व उसकी पत्नी अनावेदिका कमांक 1 पारो बाई द्वारा उसे पुत्रवत गोद लिया गया था, और जब से उसने होश सम्हाला है, वह अर्जुन सिंह के साथ ही निवास कर रहा था एवं अर्जुन सिंह एवं अनावेदिका कमांक 1 पारो बाई की देखभाल एवं खुशामद करता रहा है । इसी सेवा खुशामद से खुश होकर स्व. भूमिस्वामी अर्जुन सिंह द्वारा दिनांक 24–7–13 को गवाहों के समक्ष उसके पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । उसके द्वारा अर्जुन सिंह की मृत्यु उपरान्त उनकी पत्नी अनावेदिका कमांक 1 पारो बाई एवं उसकी पुत्री अनावेदिका कमांक 2 जानकी बाई का पूरा ध्यान रखा गया है तथा समय–समय पर अनावेदिका कमांक 2 जानकी बाई को तीज–त्यौहार व भात पक्ष के कार्यों में सहयोग किया गया है ।

(2) अर्जुन सिंह ने अपने जीवनकाल में स्वस्थ चित्त से वसीयतनामा निष्पादित किया है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्य एवं प्रति साक्ष्य ली जाकर वसीयतनामा को प्रमाणित करते हुए आवेदक के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई हे ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि स्व. अर्जुन सिंह की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, और उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत उचित निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया था, जिसे बिना किसी आधार के अपर आयुक्त द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालकर निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 211, 1996 आर.एन. 329, 2003 आर.एन. 195, 1984 आर.एन. 250, 1990 आर.एन. 169, 2000 आर.एन. 49, 1985 आर.एन. 160, 2005 आर.एन. 228, 212, 182, 145, 1995 आर.एन. 100, 1983 आर.एन. 304 एवं 1990 आर.एन. 336 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वसीयतनामा के साक्षियों में विरोधाभास है । यह भी कहा गया कि वसीयतनामा शंका से परे सिद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि पत्नी एवं पुत्री के जीवित रहते किसी अन्य को वसीयत नहीं की जा सकती है । इस सम्बंध में वसीयतनामा में कोई उल्लेख नहीं है कि पत्नी एवं पुत्री को भूमियों से क्यों वंचित किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयत निष्पादन के समय आवेदक उपस्थित नहीं था, इस तथ्य को आवेदक द्वारा स्वीकार किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा निष्पादित करते समय मृतक भूमिस्वामी अर्जुन सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था एवं उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी । साथ ही उनकी मृत्यु के 5–6 दिन पूर्व ही वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, जो शंका से परे सिद्ध नहीं होने के कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए वारिसाना नामान्तरण करने के आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2006 आर.एन. 349 व 35 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ प्रत्युत्तर में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के

पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को अनावेदकगण द्वारा निरस्त कराने की कार्यवाही नहीं की गई है, और वसीयत के समय आवेदक का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है, इसलिये उसके द्वारा किया गया कथन उचित है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामान्तरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण कार्यवाही में विधिवत इस्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया है । यद्यपि नामान्तरण पंजी में इस्तहार संलग्न है, परन्तु उसका प्रकाशन किस दिनाक को और किन–किन स्थानों पर हुआ है, इसका कोई भी उल्लेख न तो इस्तहार में है, और न ही नामान्तरण पंजी में है । इसके अतिरिक्त पंजी में जो पंचनामा संलग्न है, उससे भी स्पष्ट नहीं है कि किस–किस पंच एवं सरपंच के हस्ताक्षर पंचनामा में हैं, और पंचनामा में कोई दिनांक का भी उल्लेख नहीं है कि किस दिनांक को पंचनामा लिखा गया है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि दिनांक 7–9–2013 को नामान्तरण आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 16–9–2013 को अर्थात केवल सात दिवस के अन्दर प्रथम अपील प्रस्तुत कर दी गई है । इससे भी इस तथ्य को पूर्ण बल प्राप्त होता है कि यदि इस्तहार का विधिवत प्रकाशन होता, तब निश्चित रूप से आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की जाती । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत वसीयतनामा के दोनों साक्षियों एवं स्वतंत्र साक्षी से वसीयतनामा को प्रमाणित किया गया है । इस सम्बन्ध में 1989 (I) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 234 मांगीलाल विरूद्ध जमनाबाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> "साक्ष्य अधिनियम 1872–धारा 68–विल–दो अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा साबित की गई–साबित किया गया दस्तावेज है ।"

इसी प्रकार 1999 (I) एम.पी.डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 218 अजब बाई विरूद्ध करन सिंह में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"विल–अनुप्रमाणक साक्षियों और बिल के लिपिक द्वारा सम्यक रूप से साबित–न्यायालय द्वारा विल को साबित माना जाना न्यायसंगत ।"

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा को प्रमाणित पाते हुए आवेदक के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को इस आधार पर अवैधनिक मानते हुए निरस्त किया गया है कि वसीयतकर्ता भूमिस्वामी अर्जुन सिंह की मृत्यु के 4–5 दिन पूर्व वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, और तत्समय अर्जुन सिंह का स्वास्थ्य एवं मानसिक दशा ठीक नहीं थी, जबकि वसीयतनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि वसीयत निष्पादन के समय अर्जुन सिंह स्वस्थ थे एवं उसकी मानसिक दशा भी ठीक थी । इसके अतिरिक्त साक्ष्य से भी प्रमाणित हुआ है कि अर्जुन सिंह वसीयत निष्पादन दिनांक को स्वस्थ चित्त थे । इस सम्बन्ध में 1996 आर.एन. 329 बंजू विरूद्ध कौशल्या बाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"विल–दो अनुप्रमाणक साक्षियों द्वारा साबित–निष्पादक की मानसिंक दशा के स्वस्थ होने का अभिसाक्ष्य–विल इस आधार पर अमान्य नहीं की जा सकती कि शारीरिक दशा स्वस्थ नहीं थी–साक्षी के सम्पूर्ण परिसाक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए ।"

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वसीयतनामा को प्रमाणित किये जाने के तथ्य को अपर आयुक्त द्वारा नकारा जाना उचित नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं न्यायिक आदेश नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–5–16 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–5–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर